

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.

सन्

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/3/20	पत्रावली पैरा डूई वकुलाल उर्फ राजीनाथ पैरा किना जगा जे शाकिल फिल्ल किना वाफा जगा पत्रावली वाफे कस्तीफ कारवाही हुड दिनांक 4/8/2020 को फेर दे	श्रीमताड पत्रावली दरीकी 24 पु 2020/11
4/8/20	पत्रावली पैरा डूई वकुलाल उर्फ राजीनाथ पैरा किना जगा जे शाकिल फिल्ल किना वाफा जगा पत्रावली वाफे कस्तीफ कारवाही हुड दिनांक 4/8/2020 को फेर दे	पु 2020/11 पु 2020/11
2/10	पत्रावली पैरा डूई वकुलाल पद्मकारान् उर्फ वकिल वाही जे शर्फना पत्र अर्जुन ओडेय 1. निम्न 10 CPC का पैरा किना मद्र ए वकील जरी वाडी को दिनांक 3/8/2020 वकील जरी वाडी उर्फ शर्फना पत्र का जबाब पैरा नही करने धारते है दोनो कस्तीफकाराओ को कुन वाफा वकील जरी वाही को शर्फना पत्र स्वीकार करने से कोर्ट आपरी नही है उर उर शर्फना पत्र स्वीकार किना जाता है वकिल वाही जे संशोधित शर्फना पैरा किना 6 जे शाकिल फिल्ल किना वाफा दोनो कस्तीफकाराओ को धारित हुकर जोर कडावत की मांग से शर्फना पत्र होन जाही किना तथा लिखित से काफिला जो शाकिल फिल्ल किना जा हुक है राजीनाथ के भुजाल ए. नं. 1385 रकबा 4 बीघा 19 बीघा, ए. नं. 1382 रकबा 13 बीघा, ए. नं. 447 रकबा 1 बीघा, ए. नं. 472 रकबा 10 बीघा 12 बीघा, ए. नं. 327 रकबा 109 बीघा 12 बीघा भूदि में से जरी वाही संख्या 293 द्वारा वाफा जगा के एक हिस्से क कस्तीफकारा की उरने से	पु 2020/11 पु 2020/11 पु 2020/11 पु 2020/11

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

परिवही सं. 1 से 3 के रकबा पर वाडीगण को खारेजा घोषित किया जाता है ख. नं. 1452 रकबा 73 बिघा 4 बिघा अदि में परिवही सं. 293 द्वारा परिवही सं. 1 के पक्ष में किये गए बेचान कटुका

1/10 दिल्ली रेगा तथा इस खतरे में वाडीगण कपने 1/2 दिल्ली में है 1 बीघा

12 बिघा अदि करि रिकर परिवही सं. 1 को ^{पक्ष} विवाजन देगा राजीनामा इस निर्णय

व डिप्टी का भाग समझा जाके तथा स्थिति निवेदाता से दोनो पक्षों को पाबंद किया जाता है कि एक-दूसरे के एक-दिल्ले व कपने कायल क) अदि से किसी प्रकार

क) इयकलंदाजी नही करे और नही किली से कराके तदनुसार डिप्टी पदा जारी किया जाके फगावली केशल अकार ही जाकर साखिल इफर में

उदायक कलकत्ता पोलिस

डिफ्टी व मुकदमे इदादाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाका दावानी)

(सिविल प्रोसेडर कोड एपीडिक्स डी-1)

लत -सहायक कलेक्टर औसिया ।

-रतनलाल रेगर आर ए.एस.

बनाम	प्रतिवादीगण
बराज पुत्र श्री भैरुदान नलाल पुत्र श्री भैरुदान फौत जिनके यम मुकाम -1 चेतनलाल पुत्र श्री रतनलाल -2 नरपतलाल पुत्र श्री रतनलाल -3 केलाशचन्द पुत्र श्री रतनलाल -4 धापूदेवी पत्नि श्री रतनलाल चन्दनमल पुत्र श्री भैरुदान काश चन्द पुत्र श्री मिश्रीलाल गुलाल पुत्र श्री भैरुदान जाति सेवग निवासी औसिया तहसील औसिया जिला जोधपुर	1 मूलसिंह पुत्र श्री जालमसिंह जाति राजपूत निवासी औसिया 2 मूलचन्द उर्फ मूलदास पुत्र श्री झुमरलाल 3 सन्तोष कुमार पुत्र श्री झुमरलाल जाति सेवग निवासी गोरा चवरा (चोक) सिन्धी धर्मशाला के पास आम्बा पारा रोड धमन्तरी जिला धमन्तरी छतीसगढ 4 रामविलास पुत्र श्री भैरुदान जाति सेवग निवासी औसिया 5 सत्यनारायण पुत्र श्री गोविन्दराम 6 लुणाराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी औसिया तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

मुकदमा नम्बर 143/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-व-रु पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह मिनजानिव मुदई प्रतिवादीगण की ओर से श्री दिनेश मदेरणा उपस्थित मिन जानिव लाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 1385 रकबा 4 बीघा स्वा, खसरा नम्बर 1452 रकबा 73 बीघा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 1383 रकबा 13 बीस्वा कुल 78 बीघा 16 बीरवा व ग्राम हरीपुरा के खसरा नम्बर 447 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 472 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 10 बीघा 12 बीस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 109 बीघा 12 भूमि राजीनामा निर्णय के अनुसार पक्षकारान के हक हिस्से मे रहेगी तथा मे रथाई निषेधाज्ञा वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन दोनो पक्ष दुसरे के हक हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, और नही किसी रावे वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिफ्टी जारी की जाती है ।

मुवलिग.....वावतखर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह
.....फिसदी सालाना आज की तारीख बसूलयागी तकको अदा करे ।

बसवूत मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज दिनाक 10/8/2020 को जारी की

नामा	रुपय	प्रा	मुहताब	रुपय	प्रा
नामा वजह सबूत 1 वकील गवाह कमिस्तर इजराह हुक्मनामा			नामा वकीलनामा रुपय अती महानताया वकील खर्चा गवाहान फिसा वकीलना अदालत इजराह हुक्मनामा मुहताबरीक		
			गोम		

पचा खर्चे के फार्म पर काले मुहर के साथ मुहर के साथ दिनाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।



मुहताबरीक
गोम